(3)

(82) (1)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

कार्यालय आदेश

संख्या- 8/वि0-1-1042/10 83

पटना, दिनांक- 21/5/15

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्र सं0- 15/वि0स0से0-02-07/08 सा0प्र0 3698 दिनांक 21.09.2010 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के लिए बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक, प्रशाखा पदाधिकारी, अवर सचिव एवं उप सचिव के क्रमशः 82, 20, 02 एवं 01 पुनरीक्षित पदों की स्वीकृति दी गई है।

2. उक्त के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन मुख्यालय एवं संलग्न कार्यालयों में बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्वितरण संलग्न अनुसूची 'क' के अनुसार किया जाता है।

3. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के मुख्यालय के अधीन प्रशाखाओं/पटलों का पुनर्गठन संलग्न अनुसूची 'ख' के अनुसार किया जाता है।

4. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत आदेशों को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से विलोपित समझा जाए।

अनुलग्नक- यथोपरि

(अनुसूची- 'क' एवं 'ख')

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 479

पटना. दिनांक- 21/5/15

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्र सं0- 3698 दिनांक 21.09.10 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव

(31)

ज्ञापांक- 479 पटना, दिनांक- 21/5/15

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित, महालेखाकार, बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक- 479 पटना, दिनांक- 21/5/15

प्रतिलिपि- अनुलग्नक सहित अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/ मुख्य अभियंता (नागरिक)/ मुख्य अभियंता (रूपांकन)/ मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/ संयुक्त सचिव- I/ संयुक्त सचिव- II/ उप सचिव/ सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ विभागीय मुख्यालय के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारियों सहित)/ प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग/ लेखा-शाखा, मुख्यालय के सभी सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शिशिर सिन्हा)
प्रधान सचिव

पटना/मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर एवं पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ मे बिहार सचिवालय सेवा के सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी/ अवर सचिव एवं उप सचिव के पदों का पुनर्गठन/पुर्नविकरण निम्न प्रकार करने के बिन्दु पर विचार किया गया:-

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार (मुख्यालय एवं संलग्न कार्यालयों) के अन्तर्गत बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न पद सोपानों के पदबल के **पुनर्निर्धारण** संबंधी विवरणी:-

क्र0 सं0	विभाग/ कार्यालय का नाम	पूर्व स्वीकृत पद				पुनरीक्षित स्वीकृत पद			
		सहायक	प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव	सहायक	प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव
1.	लोक स्वा0 अभि0 विभाग (मुख्यालय), पटना	48	08	01	-	54	13	2	1
2.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, पटना प्रक्षेत्र, पटना	12	02	-	-	08	02	-	-
3.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर	12	02	-	-	08	02	-	-
4.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर	12	02	-	-	08	02	-	-
5.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता का कार्यालय, पूर्णियाँ प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ	-	1	-	-	04	01	-	-
	कुल योग:-	84	15	01	-	82	20	2	1

विभागीय मुख्यालय मे पुनरीक्षित स्वीकृत पद के अंतर्गत परियोजना अनुश्रवण इकाई (PMU) मे कार्यरत 02 सहायक पद सहित पूर्ववत् कार्यरत रहेगा।

4. विभागीय मुख्यालय के लिए पुनर्निर्धारित उक्त पदों के आलोक में कुल-13 प्रशाखाओं में कार्यों का आवंटन निम्न प्रकार से करने पर विचार किया गया:-

प्रशाखा-1, राजपत्रित स्थापना

प्रशाखा पदाधिकारी-1 सहायक- 04

पटल संख्या 1:- वर्ग-1 के अन्तर्गत अधीक्षण अभियंता एवं इनसे ऊपर के पदाधिकारियों (प्रावैधिक, वैज्ञानिक, अप्रावैधिक, असैनिक एवं यांत्रिक) की स्थापना यथा नियुक्ति, प्रोन्नति (ए०सी०पी० सहित), प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण/पदस्थापन, सेवान्त लाभ, सा०भ०नि०, चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति, यात्रा-भत्ता एवं स्थापना से संबंधित न्यायिक मामले तथा विधान मण्डलीय मामले आदि।

पटल संख्या 2:- वर्ग-1 के अन्तर्गत कार्यपालक अभियंता एवं समकक्ष पदाधिकारियों (प्रावैधिक, वैज्ञानिक, अप्रावैधिक, असैनिक एवं यांत्रिक) की स्थापना संबंधी कार्य यथा नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति (ए०सी०पी० सहित), स्थानान्तरण-पदस्थापन, सेवान्त लाभ, सा०भ०नि०, चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति, यात्रा-भत्ता एवं स्थापना से संबंधित न्यायिक मामले तथा विधान मण्डलीय मामले आदि।

पटल संख्या 3:- वर्ग-2 के अर्न्तत सहायक अभियंता एवं समकक्ष पदाधिकारियों (प्रावैधिक, वैज्ञानिक, अप्रावैधिक, असैनिक) की स्थापना संबंधी कार्य यथा नियुक्ति एवं प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति (ए०सी०पी० सहित), सेवा सम्पुष्टि, स्थानान्तरण-पदस्थापन, सेवान्त लाभ, सा०भ०नि०, चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति, यात्रा-भत्ता एवं स्थापना से संबंधित न्यायिक मामले तथा विधान मण्डलीय मामले आदि।

पटल संख्या 4:- वर्ग- 2 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (यांत्रिक) की स्थापना संबंधी सभी कार्य (नियुक्ति, प्रोन्नति (ए०सी०पी० सहित) सेवा सम्पुष्टि, सा०भ०निधि, स्थानान्तरण-पदस्थापन, सेवान्त लाभ आदि) वर्ग 1 एवं 2 के पदाधिकारियों (प्रावैधिक, वैज्ञानिक, अप्रावैधिक, असैनिक एवं यांत्रिक) की छुट्टी (अनिवार्य प्रतीक्षा सहित) गोपनीय चारित्री का संधारण, प्रतिकूल अभ्युक्ति का संसूचन एवं उसके विरूद्ध प्राप्त अभ्यावेदन का निस्तार, पदों का सृजन/ अवधि विस्तार, वरीयता सूची, सेवा इतिहास आदि।

नोट:- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का प्रश्न, ध्यानाकर्षण, प्रतिवेदन, याचिका, आश्वासन एवं न्यायालय तथा सूचना-सह-जन शिकायत आदि का कार्य संबंधित पटल से निस्तारित होगा।

दूसरी प्रशाखा

प्रशाखा-2, कनीय अभियंता का स्थापना

प्रशाखा पदाधिकारी-1 सहायक- 04

पटल संख्या 1:- कनीय अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिक) की नियुक्ति, सेवा सम्पुष्टि, प्रोन्नति (एम०सी०पी० सहित) एवं इससे संबंधित न्यायिक मामले संबंधी कार्य।

पटल संख्या 2:- कनीय अभियंता (असैनिक) का स्थानान्तरण- पदस्थापन, छुट्टी (अनिवार्य प्रतिक्षा का विनियमन सहित), वरीयता सूची, सेवापुस्त का संधारण, सेवा इतिहास, सेवान्त लाभ एवं इससे संबंधित न्यायिक मामले संबंधी कार्य।

पटल संख्या 3:- कनीय अभियंता (यांत्रिक) का स्थानान्तरण- पदस्थापन, छुट्टी (अनिवार्य प्रतिक्षा का विनियमन सहित), वरीयता सूची, सेवापुस्त का संधारण, सेवा इतिहास, सेवान्त लाभ एवं इससे संबंधित न्यायिक मामले संबंधी कार्य।

पटल संख्या 4:- कनीय अभियंता (असैनिक एवं यांत्रिक) की गोपनीय चारित्री का संधारण, प्रतिकूल अभ्युक्ति का संसूचन एवं उसके विरूद्ध अभ्यावेदन का निस्तार, चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति, यात्रा-भत्ता एवं सामान्य भविष्य निधि/ अग्रिम की स्वीकृति संबंधी कार्य।

नोट:- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का प्रश्न, ध्यानाकर्षण, प्रतिवेदन, याचिका, आश्वासन एवं न्यायालय तथा सूचना-सह-जन शिकायत आदि का कार्य संबंधित पटल से निस्तारित होगा।

तीसरी प्रशाखा

प्रशाखा-3, क्षेत्रीय स्थापना

प्रशाखा पदाधिकारी-1 सहायक- 04

पटल संख्या 1:- क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 के कर्मचारी यथा प्रधान सहायक, प्रधान लिपिक, लेखा लिपिक का स्थापना संबंधी कार्य यथा सेवान्त लाभ, चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति, मोटर साईकिल, कम्प्यूटर, गृह निर्माण, जी०पी०एफ० अग्रिम की स्वीकृति एवं इससे संबंधित न्यायिक मामले।

पटल संख्या 2:- पटना एवं मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 (प्रधान सहायक, प्रधान लिपिक, लेखा लिपिक को छोड़कर) एवं वर्ग-4 के कर्मचारियों का स्थापना

संबंधी कार्य यथा सेवान्त लाभ, चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति, मोटर साईकिल, कम्प्यूटर, गृह निर्माण, जी0पी0एफ0 (स्थायी) अग्रिम की स्वीकृति आदि एवं इससे संबंधित न्यायिक मामले।

पटल संख्या 3:- भागलपुर एवं पूर्णियाँ प्रक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 (प्रधान सहायक, प्रधान लिपिक, लेखा लिपिक को छोड़कर) एवं वर्ग-4 के कर्मचारियों का स्थापना संबंधी कार्य यथा सेवान्त लाभ, चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति, मोटर साईकिल, कम्प्यूटर, गृह निर्माण, जी0पी0एफ0 (स्थायी) अग्रिम की स्वीकृति आदि एवं इससे संबंधित न्यायिक मामले।

पटल संख्या 4:- क्षेत्रीय कार्यालयों एवं बिहार राज्य जल पर्षद में प्रतिनियुक्त कार्यभारित स्थापना अंतर्गत वर्ग-3 एवं 4 के कर्मचारियों की स्थापना संबंधी सभी कार्य/क्षेत्रीय कार्यालयों के छटनीग्रस्त कर्मियों के समायोजन संबंधी कार्य तथा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी मामले।

नोट:- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का प्रश्न, ध्यानाकर्षण, प्रतिवेदन, याचिका, आश्वासन एवं न्यायालय तथा सूचना-सह-जन शिकायत आदि का कार्य संबंधित पटल से निस्तारित होगा।

चौथी प्रशाखा

प्रशाखा-4 A गैर योजना बजट प्रशाखा

प्रशाखा पदाधिकारी-1 सहायक- 04

पटल संख्या 1:- गैर योजना कार्य एवं स्थापना से संबंधित बजट प्राक्कलन का अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्ति,समेकन तथा निर्माण। गैर योजना कार्य, यथा-अनुरक्षण एवं मरम्मति,मशीन एवं उपस्कर,दवा भंडार एवं विद्युत् मदों से संबंधित निधि का आवंटन, पुनर्विनियोग, बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम एवं प्रत्यर्पण।

पटल संख्या 2:- गैर योजना अन्तर्गत स्थापना,यथा-वेतनादि,कार्यालय व्यय, यात्रा भत्ता,वाहन के ईंधनादि, दूरभाष, मकान किराया, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ आदि मदों में निधि का आवंटन/पुनर्विनियोग, बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम ।सम्पादन बजट/बजट अभिभाषण कटौती प्रस्ताव।

पटल संख्या 3:- मासिक व्यय विवरणी (स्थापना एवं कार्य), लेखा सत्यापन, राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व बजट, निधि, दुर्विनियोग, बजट कार्य से संबंधित बैठक आदि।

पटल संख्या 4:- वित्त आयोग से संबंधित मामले/ क्षेत्रीय कार्यालयों के मकान किराया की स्वीकृति संबंधी कार्य आदि।

नोटः-1.लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का प्रश्न, ध्यानाकर्षण, प्रतिवेदन, याचिका, आश्वासन एवं न्यायालय तथा सूचना-सह-जन शिकायत आदि का कार्य संबंधित पटल से निस्तारित होगा।

पांचवीं प्रशाखा

प्रशाखा-4 B. (अंकेक्षण शाखा-सह आन्तरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग)

प्रशाखा पदाधिकारी-1 सहायक- 04

<u>पटल संख्या 1:-</u> लोक लेखा समिति, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण प्रतिवेदन।

<u>पटल संख्या 2:-</u> प्रारुप कंडिका,ए0सी0-डी0सी0 बिल, अंकेक्षण/ अंकेक्षण प्रतिवेदन,आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के सहायक का कार्य।

<u>पटल संख्या 3:-</u> पटना एवं मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों का अंकेक्षण/ अंकेक्षण प्रतिवेदन।

<u>पटल संख्या 4:-</u> भागलपुर एवं पूर्णियाँ प्रक्षेत्र के अन्तर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों का अंकेक्षण/ अंकेक्षण प्रतिवेदन।

नोटः- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का प्रश्न, ध्यानाकर्षण, प्रतिवेदन, याचिका, आश्वासन एवं न्यायालय तथा सूचना-सह-जन शिकायत आदि का कार्य संबंधित पटल से निस्तारित होगा।

छठी प्रशाखा

प्रशाखा-5 A गोपनीय शाखा/कोषांग

प्रशाखा पदाधिकारी-1 सहायक- 04

<u>पटल संख्या 1:-</u> अधीक्षण अभियंता एवं इनसे ऊपर के पदाधिकारियों (असैनिक, प्रावैधिक, वैज्ञानिक, अप्रावैधिक एवं यांत्रिक) से संबंधित प्राप्त परिवाद/आरोप (निगरानी एवं लोकायुक्त कार्यालय सहित) अन्य अपराध का प्रारंभिक जाँच से उत्पन्न/ निलम्बन/ विभागीय कार्यवाही आदि।

<u>पटल संख्या 2:-</u> कार्यपालक अभियंता (असैनिक, प्रावैधिक, वैज्ञानिक, अप्रावैधिक एवं यांत्रिक) से संबंधित प्राप्त परिवाद/आरोप (निगरानी एवं लोकायुक्त कार्यालय सहित) अन्य अपराध, चोरी गबन के मामले का प्रारंभिक जाँच से उत्पन्न/ निलम्बन/ विभागीय कार्यवाही आदि।

पटल संख्या 3:- सहायक अभियंता(असैनिक, प्रावैधिक, वैज्ञानिक, अप्रावैधिक एवं यांत्रिक) से संबंधित प्राप्त परिवाद/आरोप (निगरानी एवं लोकायुक्त कार्यालय सहित) अन्य अपराध, चोरी गबन के मामले का प्रारंभिक जाँच से उपत्पन्न/ निलंबन/ विभागीय कार्यवाही आदि।

पटल संख्या 4:- कनीय अभियंता (असैनिक, प्रावैधिक, वैज्ञानिक, अप्रावैधिक एवं यांत्रिक) से संबंधित प्राप्त परिवाद/आरोप (निगरानी एवं लोकायुक्त कार्यालय सहित) अन्य अपराध, चोरी गबन के मामले का प्रारंभिक जाँच से उपत्पन्न/ निलंबन/ विभागीय कार्यवाही आदि।

नोटः- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का प्रश्न, ध्यानाकर्षण, प्रतिवेदन, याचिका, आश्वासन, सूचना-सह-जन शिकायत, न्यायायिक मामले आदि का कार्य संबंधित टेबुल से निस्तारित होगा।

सातवीं प्रशाखा

प्रशाखा-5 B(आरोप शाखा)

प्रशाखा पदाधिकारी-1 सहायक- 04

पटल संख्या 1:- अभियंत्रण सेवा के कार्यपालक अभियंता एवं इससे ऊपर के पदाधिकारियों (प्रावैधिक, वैज्ञानिक, अप्रावैधिक, असैनिक तथा यांत्रिक) से संबंधित परिवाद/आरोप का प्रारंभिक जाँच निगरानी एवं लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त परिवाद।

पटल संख्या 2:- अभियंत्रण सेवा के सहायक अभियंता (प्रावैधिक, वैज्ञानिक, अप्रावैधिक, असैनिक तथा यांत्रिक) से संबंधित परिवाद/आरोप का प्रारंभिक जाँच आदि। निगरानी एवं लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त परिवाद।

पटल संख्या 3:- मुख्यालय एवं पटना तथा भागलपुर प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 एवं 4 से संबंधित परिवाद/आरोप का प्रारंभिक जाँच एवं विभागीय कार्यवाही आदि।

पटल संख्या 4:- मुजफ्फरपुर एवं पूर्णियाँ प्रक्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालयों के वर्ग-3 एवं 4 से संबंधित परिवाद/आरोप का प्रारंभिक जाँच एवं विभागीय कार्यवाही आदि।

नोटः- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, आश्वासन, सूचना-सह-जन शिकायत, न्यायालय आदि का कार्य संबंधित पटल से निस्तारित होगा।

(24 ...)

आठवी प्रशाखा

प्रशाखा-6 A योजना बजट शाखा

प्रशाखा पदाधिकारी-1 सहायक- 04

पटल संख्या 1:- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित योजना अन्तर्गत ग्रामीण जलापूर्त्ति योजनाओं का मौलिक कार्य,बजट निर्माण , पुनर्विनियोग एवं प्रत्यर्पण सहित पाईप जलापूर्त्ति योजना विखरित स्त्रोतों/ शौचालयों से संबंधित योजना, विखरित स्त्रोतों/ शौचालयों के निर्माण से संबंधित आवेदन तथा विखरित स्त्रोतों मरम्मति से संबंधित आवेदन। प्रक्षेत्र के निविदाओं का निस्तार।

पटल संख्या 2:- पेयजल गुणवत्ता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल गुणवत्ता योजना संबंधी कार्य एवं मुख्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा का निस्तार। भारत सरकार एवं अन्य विभागों से प्राप्त निधि का समायोजन, सहाय्य एवं अग्रिम योजना से प्राप्त निधि का समायोजन एवं आवंटन/प्रत्यर्पण।

पटल संख्या 3:- राज्य वार्षिक योजना (आर0आई0डी0एफ0 सहित) एवं नाबार्ड मासिक प्रगति प्रतिवेदन, केन्द्रीय श्रम समिति का अनुमोदन, पी0भी0सी0 पाईपों, स्टेनर एवं मोटर सेटो का क्रय, ग्रामीण योजना के विधुत संयोजन संबंधी कार्य, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित कार्य एवं प्रगति प्रतिवेदन, 20 सूत्री कार्यक्रम एवं योजना से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन, विभिन्न बैठकें।

पटल संख्या 4:- ड्रील नलकूप, नलकूप, कूप निर्माण संबंधी योजना एवं आवेदन, एम0एस0रॉड सीमेंट, ट्यूबवेल, हैण्ड पम्प, इंडियन मार्क-III, जी0आई0 पाईप स्टेनर एवं अन्य चापाकलों आदि सामानों का क्रय।

नोटः- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, आश्वासन, सूचना-सह-जन शिकायत आदि का कार्य संबंधित पटल से निस्तारित होगा।

नौवीं प्रशाखा

प्रशाखा-6 B

केन्द्रीय रूपांकण इकाई (CDU)/निबंधन शाखा

प्रशाखा पदाधिकारी-1 सहायक- 04

पटल संख्या 1:- पटना /मुजफ्फरपुर/भागलपुर/पूर्णियाँ प्रक्षेत्र के सम्वेदकों का निबंधन एवं अन्य सभी प्रकार के संबंधित कार्य।

पटल संख्या 2:- DFID एवं S.P.M.U से संबंधित कार्य।

पटल संख्या 3:- लघु निर्माण एवं वृहद कार्ययोजन से संबंधित प्राप्त प्राक्कलन की स्वीकृति/आदेश।

पटल संख्या 4:- केन्द्र चालित योजना संबंधी कार्य, पेयजल गुणवत्ता से संबंधित कार्यक्रम के अन्तर्गत सामग्री का क्रय । केन्द्र चालित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन (मासिक, त्रैमासिक आदि) केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन भेजने संबंधी कार्य, सी0आई0 एवं डी0आई0 पाईपों का क्रय।

नोट:- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, आश्वासन, सूचना-सह-जन शिकायत, न्यायालय आदि का कार्य संबंधित पटल से निस्तारित होगा।

दसवीं प्रशाखा

प्रशाखा-7

प्रशाखा पदाधिकारी-1 सहायक- 04

पटल संख्या 1:- विभाग के अंतर्गत पटना एवं पूर्णियाँ प्रक्षेत्र में संचालित शहरी जलापूर्ति योजना से संबंधित कार्य।

पटल संख्या 2:- बिहार विधान परिषद से संबंधित सभी कार्य यथा प्रश्न ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, आश्वासन आदि का उत्तर/अनुश्रवण।

पटल संख्या 3:- बिहार विधान सभा से संबंधित सभी कार्य यथा प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, आवश्यक आदि का उत्तर/अनुश्रवण।

पटल संख्या 4:- विभाग के अंतर्गत मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर प्रक्षेत्र में संचालित शहरी जलापूर्ति योजना से संबंधित कार्य।

नोट:- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, आश्वासन, सूचना-सह-जन शिकायत न्यायिक मामले आदि का कार्य संबंधित पटल से निस्तारित होगा।

ग्यारहवी प्रशाखा

प्रशाखा-8 (मुख्यालय स्थापना)

सहायक- 04

प्रशाखा पदाधिकारी-1

पटल संख्या 1:- विभागीय प्रधान सचिव की स्थापना/ यात्रा भत्ता की स्वीकृति, बिहार प्रशासनिक सेवा के विभागीय मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों (अवर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव एवं विशेष सचिव) की स्थापना संबंधी सभी कार्य/वेतन पुनरीक्षण समिति से संबंधित मामले।

पटल संख्या 2:- बिहार सचिवालय सेवा के सहायक/प्रशाखा पदाधिकारी/ अवर सचिव/ उप सचिव/ कम्प्यूटर प्रोग्रामर की स्थापना संबंधी सभी कार्य यथा नियुक्ति, प्रोन्नति (ACP), स्थानान्तरण-पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति, छुट्टी, सा0भ0नि0, सभी प्रकार के अग्रिम, सेवान्त लाभ, गोपनीय चारित्री आदि।

पटल संख्या 3:- बिहार आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक, निजी सहायक, आप्त सचिव, प्रधान आप्त सचिव एवं बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा (निम्नवर्गीय लिपिक/ उच्च वर्गीय लिपिक) की स्थापना संबंधी सभी कार्य यथा नियुक्ति, प्रोन्नति (ए0सी0पी0 सहित), स्थानान्तरण-पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति छुट्टी, सा0भ0नि0 सभी प्रकार के अग्रिम, सेवान्त लाभ, गोपनीय चारित्री आदि।/ मुख्यालय में पदस्थापित वैज्ञानिक सहायक, प्रारूपक, नील मुद्रक का स्थापना संबंधी कार्य।

पटल संख्या 4:- मुख्यालय में पदस्थापित चालक एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के स्थापना संबंधी सभी कार्य यथा नियुक्ति, प्रोन्नति (ए0सी0पी0 सहित), स्थानान्तरण-पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति, छुट्टी, सा0भ0नि0, सभी प्रकार के अग्रिम, सेवान्त लाभ आदि। विभागीय संगठन एवं पद्धति की बैठक, प्रतिवेदन, संयुक्त परामर्शदातृ समिति की बैठक एवं प्रतिवेदन। विभाग (क्षेत्रीय कार्यालय सहित) के अन्तर्गत पेंशन संबंधी मामले की समीक्षा बैठक।

नोटः- लोक सभा, राज्य सभा, विधान सभा, विधान परिषद का प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, आश्वासन, सूचना-सह-जन शिकायत न्यायिक मामले आदि का कार्य संबंधित पटल से निस्तारित होगा।

21

बारहवी प्रशाखा

प्रशाखा-8 A (स्थापना लेखा)

सहायक- 04

प्रशाखा पदाधिकारी-1

पटल संख्या 1:- माननीय मंत्री/राज्यमंत्री का स्थापना संबंधी सभी कार्य यथा उपस्कर, लेखन सामग्री एवं विविध सामग्री की आपूर्ति/ रख-रखाव, विभागीय दूरभाष (माननीय मंत्री/ राज्य मंत्री के दूरभाष सहित) का अधिष्ठापन एवं रख-रखाव, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री के निजी/बाह्य कर्मियों की स्थापना, विवेकानुदान आदि।

पटल संख्या 2:- विभागीय मुख्यालय में बेल्ट्रॉन से प्रतिनियुक्त सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर का स्थापना संबंधी कार्य, बजट भाषण पुस्तिका की छपाई, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों/ चालकों को वर्दी/छाता/साईकिल की आपूर्ति संबंधी कार्य।

पटल संख्या 3:- मुख्यालय के लेखन सामग्री एवं विविध सामग्रियों, विद्युत सामग्री, कम्प्यूटर, कैलकुलेटर, फोटो कॉपियर, डुप्लीकेटिंग मशीन, उपस्कर, एयर कंडिशनर, एयर कूलर आदि का क्रय, आपूर्ति एवं मरम्मति/सम्पोषण संबंधी कार्य /हाउस कीपिंग, भंडार सत्यापन, डाक टिकट का क्रय।

पटल संख्या 4:- विभागीय जीप, ट्रक, मोटर गाड़ी आदि का क्रय, विभागीय वाहन का आवंटन, रद्दीकरण एवं निलामी, रीग मशीन तथा अन्य यंत्र संयंत्र के क्रय से संबंधित विविध तथा डाक पटल से संबंधित कार्य।

नोट:- लेखा-शाखा में पूर्व से जो कार्य निष्पादित किये जाते है, वो किये जाते रहेंगे।

तेरहवी प्रशाखा

प्रशाखा-9 (सूचना-सह- जन शिकायत एवं विधि कोषांग)

प्रशाखा पदाधिकारी-1

सहायक- 04

पटल संख्या 1:- जन शिकायत कोषांग से संबंधित सभी कार्य/अनुश्रवण।

पटल संख्या 2:- सूचना के अधिकार के अन्तर्गत सभी कार्य/अनुश्रवण।

पटल संख्या 3:- विभाग से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमें (माननीय उच्च न्यायालय में लंबित) का अनुश्रवण एवं उससे संबंधित सभी प्रकार के कार्य यथा रिट/ अवमाननावाद प्रतियाँ प्राप्त करना, प्रतिशपथ पत्र दायर करवाने की कार्रवाई करना, तथ्य विवरणी तैयार करवाना आदि।

पटल संख्या 4:- राज्य मुकदमा नीति 2011 के अंतर्गत सभी प्रकार के मामले से संबंधित कार्य एवं विभाग से संबंधित सभी प्रकार के मुकदमें (माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित) का अनुश्रवण एवं उससे संबंधित सभी प्रकार के कार्य।

5. प्रशाखा पदाधिकारी अपने-अपने प्रशाखाओं के कार्यो का वितरण प्रशाखा में पदस्थापित सहायको के बीच आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकेगें।

6. समिति के संयोजक द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक सम्पन्न की गयी।

11.03.2015 (तारकेश्वर रविदास) प्रशाखा पदाधिकारी-1 सदस्य	11/03/15 (संतन शर्मा) प्रशाखा पदाधिकारी-7 सदस्य	11.3.15 (सतीशचंद्र मिश्रा) विशेष पदाधिकारी सदस्य
11.3.15 (ए.के. वर्मा) संयुक्त सचिव (प्र0को0) सदस्य	11.3.15 (राजेन्द्र प्रसाद सिंह) संयुक्त सचिव सदस्य	11.3.15 (राधवजी राम) मुख्य अभियंता (यॉत्रिक) संयोजक

(12)

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

।। कार्यालय आदेश।।

का0आ0सं0—1 / एम0—1—1030 / 98— 15 पटना, दिनांक— 22/11/2013

विभागीय कार्यालय आदेश संख्या—01, दिनांक—09.04.12 सह—पठित—ज्ञापांक—110, दिनांक—09.04.12, का0 आ0 संख्या—01, दिनांक—24.01.13—सह—पठित ज्ञापांक—32, दिनांक—24.01.13 तथा का0आ0सं0—13, दिनांक—08.10.13—सह—पठित ज्ञापांक—517, दिनांक—08.10.13 के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना के पदाधिकारियों के बीच कार्यो का आवंटन किया गया है।

पूर्व में निर्गत आदेशों को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :—

1. श्री हाकिम प्रसाद, उप सचिव, विभाग के पदाधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत तथा आरोप से संबंधित जाँच की संचिकाओं की गति का मोनिटरिंग करेंगे। इस हेतु समस्त संचिकाओं का Computerise Sheet में संचिकावार अद्यतन स्थिति से प्रत्येक माह की 15वीं एवं 30वीं तारीख को सचिव को सीधे अवगत करायेंगे। इन तिथियों को अवकाश होने पर अगले दिन वस्तुस्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

   श्री प्रसाद ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आरोप तथा जाँच से संबंधित सभी मामलों की संचिकायें यदि प्रशाखा—5 के अतिरिक्त किसी अन्य प्रशाखा में संधारित हों तो उन्हें अविलम्ब प्रशाखा—5 में हस्तांतरित की जाए तथा भविष्य में इन विषयों से संबंधित संचिकायें संबंधित प्रशाखा (प्र0—5) में ही संधारित की जायेंगी।
2. प्रशाखा—6 में संपादित होने वाले विभिन्न ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति तक एवं निधि के आवंटन का मोनिटरिंग कार्य श्री श्याम नारायण मिश्रा, कार्यपालक अभियंता (मो0) करते रहेंगे।

उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त योजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनकी प्रगति से संबंधित मोनिटरिंग का कार्य श्री अविनेश कुमार वर्मा, संयुक्त सचिव (प्र0 को0) करेंगे तथा योजनावार पाक्षिक प्रतिवेदन Computerised Sheet में तैयार कर सचिव को सीधे अवगत करायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

22/11/13

(अंशुली आर्या)

सचिव

18

ज्ञापांक– 585 पटना, दिनांक– 22/11/2013

प्रतिलिपि:– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/संयुक्त सचिव (प्र0 को0)/उप सचिव/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/11/13

(अंशुली आर्या)

सचिव

(3)

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

का0आ0सं0–8/वि01–1042/2010 49 /पटना, दिनांक– 15/2/19

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यालय आदेश सं0–83, दिनांक–21.05.2015 के संलग्न अनुसूची 'ख' के अनुसार लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना मुख्यालय के अधीन प्रशाखाओं/पटलों का पुनर्गठन कर कार्यों का बंटवारा किया गया है।

वर्तमान में राज्य सरकार के निश्चय योजना तथा अन्य योजनाओं के कार्यों में वृद्धि के आलोक में योजना से सम्बंधित प्रशाखा–6A तथा प्रशाखा–6B के कार्यों के बीच समन्वय की आवश्यकता के सन्दर्भ में दोनों प्रशाखा को आवंटित कार्यों का पुनर्निर्धारण किया जाना है।

लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग, मुख्यालय के अधीन प्रशाखा–6A तथा प्रशाखा–6B के बीच कार्य का पुनर्निर्धारण कर कार्य का आवंटन संलग्न अनुसूची के अनुसार किया जाता है।

एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत आदेशों को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से विलोपित समझा जाए।

अनुलग्नक– यथोपरि।

ह0/- 14/2/19

(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक–8/वि01–1042/2010 95 /पटना, दिनांकः– 15/2/19

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 14/2/19

(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

ज्ञापांक–8/वि01–1042/2010 95 /पटना, दिनांकः– 15/2/19

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख –सह– विशेष सचिव/मुख्य अभियंता (ना0)/मुख्य अभियंता (रूपांकण)/मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/संयुक्त सचिव/सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी(प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई0 टी0 मैनेजर/लेखा शाखा/सभी प्रशाखा को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 14/2/19

(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0)

14.2.19

प्रशाखा-6ए के लिए आवंटित कार्य

1. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम से संबंधित योजना अंतर्गत पुरानी ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना का सभी कार्य
2. विखरित स्त्रोतों/ शौचालयों से संबंधित योजना
3. गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित योजनाओं का कार्य
4. DFID एवं S.P.M.U. से संबंधित कार्य
5. मुक्तिधाम से संबंधित कार्य।
6. Labour Cess
7. केन्द्र चालित योजनाओं / NRDWP (NQWSM) संबंधी कार्य
8. बहुग्रामीय जलापूर्ति योजना से संबंधित कार्य
9. सहाय्य एवं अग्रिम योजना से प्राप्त निधि का समायोजन एवं आवंटन/ प्रत्यर्पण
10. मुख्यमंत्री चापाकल योजना/ चापाकलों का निर्माण
11. केन्द्रीत श्रम समिति का अनुमोदन
12. पी0भी0सी0 पाईपों
13. स्टेनर एवं मोटर सेटो का क्रय
14. राष्ट्रीय मानवाधिकार
15. जी0आई0 पाईप स्टेनर एवं अन्य चापाकलों आदि सामानों का क्रय
16. 20 सूत्री कार्यक्रम
17. वित्त आयोग
18. सामग्रियों का दर निर्धारण
19. अर्द्धकुशल मजदूर का मजदूरी
20. उद्योग, वित्त योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त पत्र
21. पंचवर्षीय योजना का कार्य
22. डिफाल्टर संवेदकों को Debar करना
23. फलाई ऐश/ बिहार भूतत्व एवं खान विभाग से प्राप्त पत्रों से संबंधित विविध कार्य

(1)

प्रशाखा-6बी के लिए आवंटित कार्य

1. पटना/ मुजफ्फरपुर/ भागलपुर/ पूर्णियाँ प्रक्षेत्र के संवेदकों का निबंधन एवं अन्य संबंधि कार्य।
2. नवपर्वतन कोषांग
3. गुरू गोविन्द सिंह जयंती संबंधी कार्य
4. ई-ट्रेडरिंग/ E-procurment / E-Token
5. बजट निर्माण
6. पुनर्विनियोजन एवं प्रत्यार्पण सहित पाईप जलापूर्ति योजना
7. प्राकृतिक आपदाओं से संबंधी कार्य (योजना का तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, नि का आवंटन एवं अन्य विविध पत्राचार)
8. लघु निर्माण एवं वृहद कार्ययोजना से संबंधित प्राप्त प्राक्कलन की स्वीकृति/ आदेश।
9. सपोर्ट फंड अंतर्गत सभी प्रकार के राशि का आवंटन एवं तत्संबंधी उपयोगिता आदि संबंधित विविध पत्राचार (यथा-Dreamline, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वाहन/वाहन चालक संबंधित भुगतान/मानदेय एवं योजना के अनुश्रवण आदि पर होने वाले व्यय)
10. बिहार विकाश मिशन
11. राज्य वार्षिक योजना (आर0आई0डी0एफ0 सहित) एवं नाबार्ड मासिक प्रगति प्रतिवेदन ए ADB (Asian Development Bank) से संबंधित कार्य
12. मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)- योजना की तकनीकी ए प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, निविदा निस्तार, राशि का आवंटन, योजना क अनुश्रवण एवं विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त पत्रों का निष्पादन एवं मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना का समन्वय संबंधी कार्य
13. बिहार विकास मिशन से संबंधित बैठक, निरीक्षण प्रतिवेदन, प्रगति प्रतिवेदन आदि संबंधी विविध पत्राचार।
14. सी0आई0 एवं डी0आई0 पाईपों का क्रय
15. आर्थिक सर्वेक्षण
16. वार्षिक योजना का सूत्रण